

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3018
जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है
सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के लिए नई कैशलेस योजना

†3018. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद देश में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के अनुसरण में देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार को पूरी तरह से लागू किया है और यदि हां, तो लाभार्थियों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर के दौरान अभिघात सम्बंधी कैशलेस उपचार के प्रभाव के सम्बंध में कोई डेटा एकत्र किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों को कम करने में उक्त योजना की भूमिका के सम्बंध में क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(च) क्या उक्त योजना में कई कमियां हैं, जिनके कारण दुर्घटना पीड़ितों, विशेषकर गरीब व्यक्तियों के लिए इसका लाभ उठाना कठिन हो जाता है और यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 2024 तक देश में सड़क की सभी श्रेणियों पर सड़क दुर्घटना के कारण हुई मौतों की संख्या क्रमशः 1,68,491, 1,72,890 और 1,77,177 है। वर्ष 2024 के डेटा में पश्चिम बंगाल (08.12.2025 तक) के संबंध में ईडीएआर से लिए गए डेटा शामिल हैं।

(ख) से (घ) सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नगदीरहित (कैशलेस) उपचार योजना, 2025 (योजना) को का.आ. 2015 (अ) दिनांक 5 मई, 2025 के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर अधिसूचित किया गया है और योजना के दिशानिर्देशों को का.आ. 2489(अ) दिनांक 4 जून, 2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। योजना के परिचालन विवरण के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को अभ्यस्त बनाने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसके परिचालन हेतु तैयारी करने के लिए, चंडीगढ़, असम, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पुडुचेरी के चुनिंदा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना का पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया था। पायलट कार्यान्वयन के बाद से, इस योजना के तहत 6,833 की संख्या में उपचार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5,480 पीड़ितों को पात्र पाया गया है और उन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार कैशलेस उपचार प्राप्त हुआ है। मोटर वाहन दुर्घटना निधि के अंतर्गत कुल संवितरित निधि 73,88,848 रुपए है।

इस योजना की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की समय-सीमा के अधीन, प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा। मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में शामिल लोगों के लिए यह उपचार कवर उपलब्ध होगा।
- (ii) प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को गैर-जानलेवा मामलों में 24 घंटे तक और जानलेवा मामलों में 48 घंटे तक पुलिस प्रतिक्रिया के अधीन, नामित अस्पतालों में स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा।
- (iii) यह वैधानिक योजना किसी अन्य केंद्र/राज्य स्तरीय योजनाओं से प्राथमिकता पर रहेगी।
- (iv) इस योजना को दो मौजूदा प्लेटफार्मों के एकीकरण के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया गया है: ईडीएआर (इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) का उपयोग पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की टीएमएस 2.0 (लेनदेन प्रबंधन प्रणाली) का उपयोग अस्पतालों द्वारा उपचार प्रदान करने, दावा प्रस्तुत करने और भुगतान के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस योजना को सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा उन मामलों के लिए अंशदान के साथ संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है जहां मोटर वाहन का बीमा किया हो और बीमित मोटर वाहनों के अलावा मोटर वाहनों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(ड) और (च) नीचे सूचीबद्ध की गई पायलट लर्निंग के आधार पर योजना को अद्यतन किया गया है:

उद्देश्य	कृत कार्रवाई
स्वास्थ्य	
इलाज सबसे पास के अस्पताल में मिलेगा	गैर-नामित अस्पतालों के लिए स्थिरीकरण मॉड्यूल विकसित किया गया है
निकटतम अस्पताल का पता लगाने का तंत्र	112 (इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम) का टीएमएस 2.0 के साथ एकीकरण पूरा हो गया है।
एम्बुलेंस से जुड़े पैकेज शामिल करना	एम्बुलेंस पैकेज को स्वास्थ्य लाभ पैकेज का हिस्सा बनाया गया
शुरुआती भर्ती के लिए कट-ऑफ पीरियड तय करना	24 घंटे के रूप में परिभाषित
पुलिस	
ईडीएआर पर प्रतिक्रिया प्रदान करना	जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए
डेटा प्रविष्टि में सुधार	ट्रेनिंग और वर्कशॉप आयोजित किए गए
सड़क दुर्घटना की पुष्टि का समय	पुलिस रिस्पॉन्स के लिए समय 3 घंटे से बढ़ाकर 24/48* घंटे कर दिया गया
क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे	ईडीएआर पर ट्रांसफर सुविधा शुरू की गई

यह भी सूचित किया जाता है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार और अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सुस्पष्ट, समयबद्ध ढांचा तैयार किया गया है।

प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को गैर-जानलेवा मामलों में 24 घंटे तक और जानलेवा मामलों में 48 घंटे तक पुलिस प्रतिक्रिया के अध्यक्षीन, निर्दिष्ट अस्पतालों में स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, पीड़ित को भर्ती करने, उपचार, पुलिस प्रमाणीकरण, दावा प्रक्रम और अंतिम भुगतान के लिए 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुर्घटना रिपोर्टिंग के समय से योजना के लिए एक पूर्ण डिजिटल ट्रेल मौजूद होगा। यह योजना के शुरू से अंत तक (एंड-टू-एंड) डिजिटलीकरण और प्रत्येक मामले की ट्रेकिंग सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों द्वारा उपयोग की जाने वाली मौजूदा डिजिटल परिसंपत्तियों - पुलिस अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) और टीएमएस 2.0 के एकीकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
